न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4 मथुरा

सत्र वाद संख्या- 179/2016

राज्य बनाम बाबूलाल आदि ।

दिनांक- 20.07.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई । वादी मुकदमा नरायान की तरफ से जरिए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आवेदन कागज संख्या 29 ख अन्तर्गत धारा 319 दं.प्र.सं.विपक्षी भूरा को विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना हेतु प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि दिनांक 10.03.2015 को जमीन के विवाद के सम्बन्ध में चल रहे मुकदमें की तारीख तहसील सदर मथुरा में थी जिसमें तारीख करने के लिए प्रार्थी व उसके भाई पन्नालाल व हुकम सिह सदर तहसील आये थे । समय करीब 12.30 बजे दिन अभियुक्तगण बाबूलाल, पूरन,लालसिह व भूरा ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर लाठी- डण्डा व कुल्हाड़ी से तहसील परिसर के अन्दर घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के भाई हुकम सिह व पन्नालाल को बुरी तरह से मारा । घटना स्थल पर मौजूद बच्चू आदि ने मुल्जिमान को ललकारा व घटना देखी । मुल्जिमान धमकी देकर भाग गये कि सालो या तो मुकदमेंबाजी बन्द कर दो और जमीन हमें दे दो,नहीं तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोडेगें । पन्नालाल व हुकम सिह को गम्भीर चोटें आयी । उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 71/2015 के रूप में दर्ज हुई । विवेचक ने प्रार्थी के बयान लेने के उपरान्त अभियुक्त पूरन को गिरफतार किया ,तदोपरान्त चुटैल हुकम सिह व पन्नालाल के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं मेडीकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट व सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की नकलें ली ,तदोपरान्त प्रथम विवेचक विनोद कुमार का स्थानान्तरण हो जाने पर विवेचना उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने की ,जिनके द्वारा मुल्जिमान से सांठ गॉठ करके अभियुक्तगण के निजी लोगों के बयान जो घटना के साक्षी नहीं थे, अंकित करते हुए अभियुक्त भूरा का नाम विवेचना में निकाल दिया गया । जबकि विवेचना के दौरान हमारी ओर से दिये गये साक्ष्य से भूरा के विरूद्व धारा 307,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत केस बनता है। वर्तमान मामले में प्रार्थी का बयान पी.डब्लू.1 के रूप में हो चुका है जिसमें प्रार्थी द्वारा अभियुक्त के विरूद्व घटना कारित करने व घटना में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में अकाटय साक्ष्य दिया है । अभियुक्त भूरा के विरूद्व विचारण किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और अभियुक्त भूरा के विरूद्व प्रथम दृष्टया धारा 307,323,504,506 भा.दं.सं. का अपराध बनता है । अतः अभियुक्त भूरा को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अन्य अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जाये ।

सुना एवं पत्रावली एवं पी.डब्लू.1 के साक्ष्य का अवलोकन किया गया ।

पत्रालवी पर उपलब्ध प्राथमिकी का अवलोकन किया गया । वादी नारायन द्वारा प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि बाबूलाल व उसके परिजन से जमीनी सम्बन्धी मुकदमेबाजी चल रही है जिसकी वजह से यह लोग उससे रंजिश मानते है । आज दिनांक 10.03.2015 को जमीन के मुकदमें की तारीख सदर मथुरा में थी जिसको करने के लिए प्रार्थी व उसके भाई पन्नालाल व हुकम सिह सदर तहसील आये थे। समय करीब 12.30 बजे दिन अभियुक्तगण बाबूलाल, पूरन,लालसिह व भूरा ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर लाठी- डण्डा व कुल्हाड़ी से तहसील परिसर के अन्दर घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के भाई हुकम सिह व पन्नालाल को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया घटना स्थल पर मौजूद बच्चू आदि ने मुल्जिमान को ललकारा व घटना देखी । मुल्जिमान धमकी देकर भाग गये कि सालो या तो मुकदमेंबाजी बन्द कर दो और जमीन हमें दे दो,नहीं तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोडेगें । पन्नालाल व हुकम सिह को गम्भीर चोटें आयी । उक्त घटना की रिपोर्ट वादी ने अभियुक्तगण बाबूराम, पूरन, लाल सिह एवं भूरा के विरूद्व धारा 307,323,504,506 भा.दं.सं. में पंजीकृत करायी गयी जिसमें बाद विवेचना अभियुक्त भूरा की नामजदगी गलत पाये जाने पर उसका नाम विवेचना से निकाल दिया गया । आरोप पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन की ओर से पी.डब्लू.1 के रूप में वादी मुकदमा नारायन का सशपथ बयान अंकित कराया गया है जिसमें साक्ष्य दिया है कि दिनांक 10.03.2015 को तहसील में जमीन के मुकदमे की तारीख करने मैं, हुकम सिह और पन्नालाल आये । बाबूलाल ,पूरन से जमीन का विवाद चल रहा था। करीब 12.30 बजे उस दिन पूरन, बाबूलाल, भूरा एावं लालसिह जिनमें पूरन के हाथ में कुल्हाड़ी थी तथा औरों के हाथ में लाठी थी,ने गाली गलौज करते हुए पन्नालाल व हुकम सिह को जान से मारने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी जिसमें दोनों के गम्भीर चोटें आयी । इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत जिरह की गयी है लेकिन जिरह में यह तथ्य नहीं आया है कि घटना के समय भूरा उपस्थित नहीं था, बल्कि पी.डब्लू.1 ने जिरह में सभी मुल्जिमान द्वारा घटना कारित करने सम्बन्धी बयान दिया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2014(85)ACC314 हरदेव सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (SC)** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रकाश में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियेाजन प्रपत्रों एवं पी.डब्लू.1 की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त भूरा अन्तर्गत धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अन्य सह अभियुक्तगण बाबूलाल, लालसिह एवं पूरन के साथ अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भा.दं.सं. में विचारण हेतु आहूत किया जाता है । वादी

मुकदमा की तरफ से जरिए अभियोजन प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 319 दं.प्र.सं. तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति/ अग्रिम कार्यवाही अभियुक्तगण दिनांक 03.08.2018 को पेश हो । मामले में तलब शुदा अभियुक्त जरिए सम्मन विचारण हेतु तलब हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं.4 मथुरा